Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly Allahabad State University)

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 1379 / 2020 दिनांक– 31/10 / 2020

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दि0 30.05.2019 के अनुपालन में **हरिवंश महाविद्यालय, चौंसा, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ0प्र0** को निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र **संख्या– पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 652 / 2019 दिनांकः 30.05.2019** में इंगित कमियों की पूर्ति के उपरान्त महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र एवं प्राचीन भारतीय इतिहास विषयों में **बी0ए0 पाठ्यक्रम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2019–20 से सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशो एव इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के सथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. **प्रबन्धक, हरिवंश महाविद्यालय, चौंसा, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ0प्र0।**
4. परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

कुलसचिव